न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 07/2017 राजस्व अपील पत्र

उनवान

1. श्रीमति उगमी पुत्री बालु जाट पत्नि उगमा जाट उम्र वयस्क निवासी मूशी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2. श्रीमति कानी उर्फ खानी पुत्री बालु जाट पत्नि हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी मूशी हाल निवासी लाम्बियाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. रामकुंवार पिता रामलाल जाट उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4. कन्हैयालाल पिता रामलाल जाट उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5. संतोक पुत्री रामलाल जाट उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

—— **अपीलार्थीगण**

बनाम

1 घीसूलाल पिता धन्ना जाट उम्र वयस्क निवासी मूशी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 रामेश्वरा पिता धन्ना जाट उम्र वयस्क निवासी मूशी तहसील बनेडा हाल निवासी गोविन्दपुरा पोस्ट पालडी तहसील व जिला भीलवाडा
3 भंवरलाल पिता श्रीकिशन जाट उम्र वयस्क निवासी मूशी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 राकेश पिता श्रीकिशन जाट उम्र नाबालिग जरिये बडा भाई भंवरलाल पिता श्रीकिशन जाट उम्र वयस्क निवासी मूशी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 पारसी पुत्री रामलाल जाट उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा पत्नि सुवालाल जाट निवासी गजसिंहपुरा पोस्ट बडला तहसील हुरडा जिला–भीलवाडा
6 बडौदा राजस्थान ग्रामीण बेंक शाखा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा
8 सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मूशी जिला भीलवाडा (राज0)

——**रेस्पोडेण्ट्स**

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 650 आदेश दिनांक 12.06.1990 ग्राम पंचायत मूशी</u>

उपस्थित –
1. श्री भैरूलाल बापना......................... अपीलार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित
2. पैरोकार सरकार................................विपक्षी कम 07

<u>निर्णय</u>

दिनांक – 15.03.2018

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत मूशी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित आराजी संख्या 1883, 1885, 1496, 1933, 1985, 1987, 2014, 2452, 2453, 2469 कुल किता 10 कुल रकबा 20–00 बीघा जो राजस्व आधार अभिलेख जमाबन्दी पर बतौर संयुक्त खातेदारी स्वरूप घीसूलाल, श्रीकिशन, रामेश्वर पिता घन्ना एंव बालु पिता रूघनाथ जाट के नाम पर अभिलिखित थी। विवादित आराजीयात में घीसुलाल, श्रीकिशन, रामेश्वर पिता घन्ना जाट का 1/2 हिस्सा एंव बालु पिता रूघनाथ जाट का 1/2 हिस्सा निहित था। श्रीकिशन की मृत्युपरांन्त उनके पुत्र श्री

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

अपीलार्थीगण निम्नलिखित अपील पेश कर सादर निवेदन करते है :-

भंवरलाल व राकेश एंव पत्नि श्रीमति लहरी के नाम पर दर्ज हुई, तथा श्रीमति लहरी द्वारा अपना हक हिस्सा भवंरलाल व राकेश के पक्ष में हकत्याग कर देने से उनके दोनो पुत्रों के नाम पर दर्ज हुई। वर्तमान में उक्त आराजीयात किता 10 रकबा 20–00 बीघा भूमि घीसूलाल, रामेश्वर पिता धन्ना 2/3 एंव भंवर, राकेश पिता श्रीकिशन 1/3 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित भुमि श्री बालु पिता रूघनाथ जाट की मृत्युपरान्त उनको लाऔलाद फौत होना बताकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 12.06.1990 से उनके भाईं धन्ना पिता रूघनाथ जाट के पुत्रों घीसुलाल, श्रीकिशन एंव रामेश्वर के नाम पर दर्ज कर दी गयी जबकि बालु जाट के तीन पुत्रीयां उगमी, बरजी, कानी उर्फ खानी हुई, जिससे बालु जाट की मृत्यु के पश्चात उनकी तीनों पुत्रीया प्रथमश्रैणी की वारिस होने से उनके 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर विवादित आराजीयात का उपभोग उपयोग करती चली आ रही है। हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 650 संस्थित कर मृतक बालु जाट को लाऔलाद फौत दर्शाकर उनके वैद्य प्रतिनिधि अपीलार्थीगण के स्थान पर प्रत्यर्थीगण 01 लगायत 05 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तथाकथित नामान्तरकरण दर्ज कर भू–अभिलेख निरीक्षक से बाद जांच अधीनस्थ ग्राम पंचायत मूशी को अंतिम निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त तथ्यों की जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तरकरण फैसल करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तरकरण अपास्त योग्य है।

उक्त तथाकथित नामान्तरकरण की जानकारी होते ही अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 18.05.2017 को विधिवत नकल प्राप्त की गई तथा जानकारी होते ही यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई है। किन्तु फिर भी सम्भाव्य तौर पर विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई ठोस खण्डन अभिलेख पर नहीं होने तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण को दिनांक 01.08.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तलबी की गई। दिनांक 15.03.2018 को प्रत्यर्थीगण सुचित होने बावजूद नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर अपीलार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

उपस्थित अभिभाषक को सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपनी और से प्रस्तुत बहस में कथन कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित भुमि श्री बालु पिता रूघनाथ जाट की मृत्युपरान्त उनको लाऔलाद फौत होना बताकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 12.06.1990 से उनके भाईं धन्ना पिता रूघनाथ जाट के पुत्रों घीसुलाल, श्रीकिशन एंव रामेश्वर के नाम पर दर्ज कर दी गयी जबकि

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

बालु जाट के तीन पुत्रीयां उगमी, बरजी, कानी उर्फ खानी हुई, इस प्रकार बालु जाट की मृत्यु के पश्चात उनकी तीनों पुत्रीया प्रथमश्रैणी की वारिस होने से उनके 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर विवादित आराजीयात का उपभोग उपयोग करती चली आ रही है। अपीलार्थीगण जो कि मृतक बालु जाट के विधिक वारीस व उत्ताराधिकारी होते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 05 व राजस्व कर्मचारीयों ने आपस में मिलीभगती कर अपीलार्थीगण के पिता बालु जाट को लाऔलाद फौत होना बताकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत मूशी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 650 संस्थित करा अपीलार्थीगण का नाम हटवाया जाकर केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 05 ने अपने नाम पर नामान्तरकरण फैसल करवा लिया जो कि कानूनन तौर पर विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात, आधार राजस्व अभिलेखों का अध्ययन/परीक्षण किया व अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। हम अपीलार्थी पक्ष के इस तर्क से सहमत है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करके बिना स्व. श्री रूगनाथ जाट के पारिवारिक सिजरे की जांच किये, उनके पुत्र अपीलार्थीगण के पिता स्व. बालु जाट को लाऔलाद फौत होना बताकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखो में अपीलार्थीगण के बिना जानकारी के दर्ज कराने का वैधानिक अधिकार नही था। जो कि कानूनन तौर गलत है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप तथ्यो के सूक्ष्म परीक्षण उपरान्त तथा आधार अभिलेखों के अध्ययन व परिक्षण पश्चात, विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथ्यो एंव परिस्थितियों को मध्यनजन रखते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 650 आदेश दिनांक 12–06–1990 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है कि तहसीलदार उक्त मामलें में अजसिरे उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एंव स्व. श्री रूगनाथ जाट के पारिवारिक सिजरे की समुचित करे, साक्ष्य दस्तावेजी के अध्ययन/परिक्षण उपरान्त ही 6 माह की समयावधि में नवीन निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

निवेदन करते है :–